प्रेषक

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
आजमगढ़/बलिया/मऊ/महराजगंज/इलाहाबाद/कौशाम्बी/फतेहपुर/प्रतापगढ़/संत रविदासनगर/वाराणसी/चन्दौली/गाजीपुर/जौनपुर।

पत्रांक /चारा/3डी–59/रा0यो0/2018–19 दिनांक– 29-01-2019

विषय:– **अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना (रा0यो0) अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आवंटित धनराशि के सापेक्ष उपयोग हेत दिशा–निर्देश।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विभाग द्वारा प्रस्तुत योजना के समक्ष शासन द्वारा संदर्भित योजना के कियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–88/2018/2397/सैंतीस–2–2018–1(42)/2014 दिनांक 30.10.2018 द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसका आवंटन कार्यालय के पत्र सं0–921/बजट/29(5)/अनु0–15/41/2018–19 दिनांक 12.11.2018 द्वारा किया गया है। जनपदवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप निम्न दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना को कियान्वित किया जाए:–

1– योजना प्रदेश के 22 जनपदों की अवशेष 10567 ग्राम पंचायतों में से 13 जनपदों में मुख्य पशु–चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ पशुचिकित्सा अधिकारियों के सहयोग से चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में संलग्न विवरण **(परिशष्ट–1)** के अनुसार संचालित किया जायेगा।

2– जनपदवार निर्धारित अनाच्छादित ग्राम पंचायतों में से प्रति ग्राम पंचायत से केवल 01 इच्छुक, लघु/सीमान्त पशुपालक, जो कम से कम 02 बड़े दुधारु पशु पालता हो, का ही चयन किया जायेगा। प्रदेश के अल्पसंख्यकों की भागीदारी शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित की जाए। प्रश्नगत योजनान्तर्गत गत वर्षों में चयनित ग्राम पंचायतों को चयनित नहीं किया जायेगा।

3– योजना के सम्बन्ध में प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार–पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जायेगा। लाभार्थियों का चयन मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति, जिसमें उपमुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी सदस्य/सचिव, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित सदस्य तथा सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी सदस्य होंगे, के द्वारा लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की बैठक में आये प्रस्ताव एवं उपर्युक्त निर्धारित पात्रता के आधार पर किया जायेगा।

4– प्रत्येक लाभार्थी को विभाग द्वारा निम्न सामग्री निर्धारित फर्म से अनुमोदित दर पर कय कर निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी–

1–लोअर प्लास्टिक सीट सफेद पारदर्शी 200 माइकान (670ग्राम –(5% +/–) आकार 90" X 60" – एक
2–अपर प्लास्टिक सीट सफेद पारदर्शी 200 माइकान (960ग्राम–(5% +/–) आकार 102" X 72" – एक
3–दस ली0 क्षमता वाला स्प्रिंकलर (हजारा) (वजन 675–700 ग्राम) – एक
4–चारा तकनीकी निर्देशिका/पुस्तिका – एक

5– लोअर प्लास्टिक सीट, अपर प्लास्टिक सीट तथा स्प्रिंकलर की प्राप्त दरों सम्बन्धी यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लि0, कृषि वर्कशॉप, तालकटोरा रोड, लखनऊ का पत्र संख्या–327/28–म0प्र0 (उ0)/प्रा0फेब्रि0/2018–19 दिनांक–27.12.2018 **संलग्न** है।

6– प्रश्नगत सामग्री की आपूर्ति हेतु कय आदेश एवं भुगतान महाप्रबन्धक (उत्पादन), यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लि0, कृषि वर्कशॉप, तालकटोरा रोड, लखनऊ को किया जायेगा।

7– कार्यालय पत्र संख्या–921/बजट/29(5)/अनु0–15/41/2018–19 दिनांक 12.11.2018 द्वारा आवंटित धनराशि में दिये गये निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन करते हुए मदवार व्यय/कय निम्नानुसार किया जायेगा:–

(अ) मानक मद 42–अन्य व्यय में आवंटित धनराशि से स्प्रिंकलर एवं तकनीकी निर्देशिका।
(ब) मानक मद 43–सामग्री एवं सम्पूर्ति में आवंटित धनराशि से लोअर एवं अपर प्लास्टिक सीट।

8– चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु योजना अन्तर्गत कय की जाने वाली सामग्री स्प्रिंकलर (हजारा) एवं प्लास्टिक शीटें यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लि0 कृषि वर्कशॉप, तालकटोरा रोड, लखनऊ से कय किया जाना है। प्रश्नगत सामग्री की दरें एवं फर्म का निर्धारण निदेशालय स्तर से कर दिया गया

है। संलग्न दर सूची एवं नियम शर्तो का संज्ञान लेते हुए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए। **(संलग्नक–2)**

9– चारा तकनीकी निर्देशिका/पुस्तिका स्थानीय स्तर से छपायी जानी है, पुस्तिका हेतु प्रारुप संलग्न है। पुस्तिका की छपाई एवं साइज 220 जी0एस0एम0, ग्लासी पेपर, कवर का पन्ना 4 कलर में दोनों साइड मुद्रित, अन्दर के पन्ने 100 जी0एस0एम0, आर्ट पेपर 4 कलर में दोनों साइड मुद्रित 50 पन्नों की गम प्रेस्टिंग बाइंडिंग सहित होनी चाहिए। उक्त पुस्तिका की दर रु0 35.00 **(GST सहित)** से अधिक नहीं होनी चाहिए। चारा तकनीकी निर्देशिका/पुस्तिका का नमूना संलग्न है।

10– क्रय की जाने वाली सामग्री हेतु उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली के अनुक्रम में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

11– किसी भी परिस्थिति में शासनसदेश संख्या–88/2018/2397/सैंतीस–2–2018–1(42)/2014 दिनांक 30.10.2018 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत कार्यक्रम संचालन हेतु विभिन्न निर्देशों का विचलन न किया जाए।

12– चयनित लाभार्थी का पूर्ण विवरण पशु चिकित्सालय/मु0प0चि0अ0 कार्यालय पर रखा जाए, ताकि योजना का मूल्यांकन/अनुश्रवण करने वाले अधिकारी को तत्काल सूचनायें उपलब्ध करायी जा सकें। चयनित लाभार्थी की सूचना निम्न प्रारुप पर तत्काल उपलब्ध करायी जाए:–

क्र0सं0	लाभार्थी का नाम	पिता का नाम	लाभार्थी की श्रेणी	स्थायी पता	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	मोबाइल नं0
1	2	3	4	5	6	7	8

उपर्युक्त प्रारुप पर सूचना दिनांक–28–02–2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

13– योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाए, ताकि किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए।

14– इस कार्यक्रम का अनुश्रवण/सत्यापन पशुचिकित्सा अधिकारी एवं चारा से सम्बन्धित स्टाफ द्वारा शत–प्रतिशत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–II द्वारा भी सत्यापन किया जायेगा। निदेशालय स्तर से प्रश्नगत योजना का स्थलीय सत्यापन एवं अनुश्रवण चारा अनुभाग से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों किया जायेगा।

15– प्रश्नगत सामग्री जेम पोर्टल से भी क्रय की जा सकती है, परन्तु सामग्री की गुणवत्ता तय मानक से कम होने पर संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी उत्तरदायी होगें तथा उनसे व्यक्तिगत रुप से धनराशि वसूल की जायेगी।

16– आवंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करें तथा व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशालय को ई0मेल **fdoup522@gmail.com** पर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 चरण सिंह यादव)
निदेशक, प्रशासन एवं विकास
दिनांक–

पत्रांक 270/चारा/3डी–59/रा0यो0/2018–19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक (ग्रेड–2), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी से उक्त के सम्बन्ध में अनुपालन इसी वित्तीय वर्ष में कराना सुनिश्चित करें।

2– महाप्रबन्धक (उत्पादन), यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लि0, कृषि वर्कशॉप, तालकटोरा रोड, लखनऊ।

2– सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

3– प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

4– विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा0 चरण सिंह यादव)
निदेशक, प्रशासन एवं विकास

परिशिष्ट–1

शा0सं0–88/2018/2397/सैंतीस–2–2018–1(42)/2014 दिनांक 30 अगस्त, 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में सेल्युलोजिक वेस्टेज एवं अपौष्टिक चारे को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना (राज्य योजना) अन्तर्गत जनपदवार निर्धारित भौतिक लक्ष्य

क0सं0	मण्डल का नाम	आहरण वितरण अधिकारियों का पदनाम व जनपद	जनपदवार कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 तक जनपदों में आच्छादित की जा चुकी ग्राम पंचायतों की संख्या	योजनान्तर्गत अवशेष ग्राम पंचायतें, जो अब तक अनाच्छादित है।	चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनपदवार आच्छादित की जाने वाली ग्राम पंचायतों की सं0 (01 लाभार्थी प्रति ग्राम पंचायत)
1	2	3	4	5	6	7
1	आजमगढ	मु0प0चि0अ0,आजमगढ़	1872	792	1080	1080
		मु0प0चि0अ0,बलिया	949	401	548	548
		मु0प0चि0अ0,मऊ	684	289	395	395
		योग	**3505**	**1482**	**2023**	**2023**
2	इलाहाबाद	मु0प0चि0अ0,इलाहाबाद	1637	692	945	945
		मु0प0चि0अ0,कौशाम्बी	498	211	287	287
		मु0प0चि0अ0,फतेहपुर	840	355	485	485
		मु0प0चि0अ0,प्रतापगढ़	1255	532	723	723
		योग	**4230**	**1790**	**2440**	**2440**
3	मिर्जापुर	मु0प0चि0अ0,सोनभद्र	809	270	539	0
		मु0प0चि0अ0,मिर्जापुर	637	342	295	0
		मु0प0चि0अ0,भदोही	561	237	324	183
		योग	**2007**	**849**	**1158**	**183**
4	वाराणसी	मु0प0चि0अ0,वाराणसी	760	321	439	439
		मु0प0चि0अ0,चन्दौली	734	310	424	424
		मु0प0चि0अ0,गाजीपुर	1236	523	713	713
		मु0प0चि0अ0,जौनपुर	1773	750	1023	1023
		योग	**4503**	**1904**	**2599**	**2599**
5	गोरखपुर	मु0प0चि0अ0,महराजगंज	929	256	673	673
		योग	**929**	**256**	**673**	**673**
6	झांसी	मु0प0चि0अ0,झांसी	496	210	286	0
		मु0प0चि0अ0,ललितपुर	416	176	240	0
		मु0प0चि0अ0,जालौन	575	245	330	0
		योग	**1487**	**631**	**856**	**0**
7	चित्रकूट धाम	मु0प0चि0अ0,चित्रकूट	335	142	193	0
		मु0प0चि0अ0,हमीरपुर	339	143	196	0
		मु0प0चि0अ0,बांदा	471	200	271	0
		मु0प0चि0अ0,महोबा	273	115	158	0
		योग	**1418**	**600**	**818**	**0**
		महायोग	**18079**	**7512**	**10567**	**7918**

चारा विकास अधिकारी

संलग्नक-2

यू0पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0,
कृषि वर्कशाप, तालकटोरा रोड,लखनऊ

दिनांक 27.12.2018

पत्रांक-327/28-म0प्र0(उ0)/प्रा0फेब्रि0/2018-19

निदेशक
प्रशासन एंव विकास
पशुपालन विभाग,
लखनऊ ।

विषयः-प्लास्टिक शीट एंव हजारा के विक्रय दरो का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र सं0-228 दिनांक 26.09.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जोकि प्लास्टिक शीट एंव हजारे की दरे अनुमानित प्रेषित की गयी थी। वर्तमान मे निगम द्वारा दरे स्वीकृत कर दी गयी है।

अतः निम्नानुसार विक्रय दरे प्रेषित की जा रही हैः-

क्र0 सं0	आइटम का नाम	मोटाई (माइक्रान मे)	विक्रय दर
1.	प्लास्टिक शीट (वर्जिन पालिथीन मैटेरियल से निर्मित सफेद पारदर्शी एल0एल0) साइज 90x60 इंच	200	182.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत
		250	248.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत
		300	286.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत
2.	प्लास्टिक शीट (वर्जिन पालिथीन मैटेरियल से निर्मित सफेद पारदर्शी एल0एल0) साइज 102x72 इंच	200	245.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत
		250	306.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत
		300	388.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत
3.	1000 लीटर क्षमता का स्प्रिंगकलर (हजारा) HDPE/PP वर्जिन ग्रेड प्लास्टिक से निर्मित	675 ग्राम लगभग	356.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते हुये निगम के पक्ष मे आपूर्ति हेतु आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

10|st|DAH|3.1.19
F.D.O.
03-01-19

भवदीय,
27/12
(एस0सी0 सागर)
महा-प्रबन्धक (उत्पादन)